

प्रेस नोट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर दिनांक 24.12.2025

कूटरचित व फर्जी दस्तावेज तैयार कर करीब 1.5 करोड़ रुपये गबन करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष रामगढ़ताल के नेतृत्व में उ0नि0 राम सिंह मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0846/2025 धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित अभियुक्त विभांशु वैभव मिश्रा पुत्र बलराम मिश्रा निवासी सुमन सदन परशूडीह थाना परशूडीह टाटानगर झारखण्ड हाल पता 11एवन्यू गौर सिटी 2 ई 839 सेक्टर 16 नोएडा एक्सटेंशन थाना विशरख जनपद गौतम बुद्ध नगर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त द्वारा फर्जी व कूटरचित भिन्न - भिन्न ब्रान्डो को दिखाकर वादी से धोखे से कुल 1.5 करोड़ रुपये फूडकोर्ट चालू करने के नाम पर हड़प लिया गया जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विभांशु वैभव मिश्रा पुत्र बलराम मिश्रा निवासी सुमन सदन परशूडीह थाना परशूडीह टाटानगर झारखण्ड हाल पता 11एवन्यू गौर सिटी 2 ई 839 सेक्टर 16 नोएडा एक्सटेंशन थाना विशरख जनपद गौतम बुद्ध नगर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-0846/2025 धारा- 319(2),318(4),338,336(3),340(2) बी0एन0एस0 थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 राम सिंह थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
2. का0 अतुल रजक थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर